एफपीआई के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान पर असमंजस

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 26 अगस्त

यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को मौजूदा तीन के बजाय दो श्रेणियों में दोबारा वर्गीकृत करने के बाद अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान किस तरह से लागू होगा।

बुधवार को बाजार नियामक सेबी की तरफ से जारी परिपत्र में कहा गया था कि एफपीआई को मौजूदा तीन श्रेणियों के बजाय दो श्रेणियों – श्रेणी-1 और श्रेणी-2 – में दोबारा वर्गीकृत किया जा सकता है।

मौजूदा नियमों के तहत श्रेणी-1 व श्रेणी-2 एफपीआई के निवेश को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान से छूट मिली हुई है। श्रेणी-3 वाले एफपीआई पर हालांकि यह प्रावधान लागू होता है और यह देखना बाकी है कि क्या तीसरी श्रेणी वाले एफपीआई को दूसरी श्रेणी में लाए जाने के बाद यह प्रावधान हटा दिया जाएगा।

ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर पुनीत शाह ने कहा, अब तीन श्रेणी दो श्रेणी में तब्दील हो चुकी है, ऐसे में आयकर के लिहाज से इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि हस्तांतरण के प्रावधान अब एफपीआई पर लागू नहीं होंगे? हमें स्पष्टीकरण मिलने तक इस मामले में देखो व इंतजार करो की रणनीति अपनानी होगी।

साल 2012 में सरकार ने देसी कानून में पिछली तारीख से संशोधन किया था। इस प्रावधान के तहत भारत से बाहर किसी इकाई के शेयर या हितों के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर भारत में कर लगेगा, अगर ऐसे शेयर या हितों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय परिसंपत्ति से उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती हो। इन प्रावधानों को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण वाला प्रावधान कहा गया है।

इन प्रावधानों में बदलाव हुए और छूट अगले वर्षों से लागू हुए। उदाहरण के तौर पर साल 2017 के बजट में एफपीआई श्रेणी-1 व श्रेणी-2 को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण वाले प्रावधान से छूट दी गई, जो 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी हुआ।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी के पार्टनर अभय शर्मा ने कहा, ऐसा लग रहा है कि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण का प्रावधान एफपीआई पर लागू नहीं होगा। हालांकि हमें नहीं पता कि क्या ये बदलाव अभी श्रेणी-2 के तौर पर वर्गीकृत एफपीआई को मिल रही छूट पर असर पड़ेगा और इस संबंध में सीबीडीटी की तरफ से स्पष्टीकरण काफी अहम होगा।

अभी श्रेणी-1 में सॉवरिन वेल्थ फंड, सरकारी एजेंसियां और विदेशी केंद्रीय बैंक शामिल हैं, जिन्हें कम से कम अनुपालन की दरकार होती है। दूसरी श्रेणी में बैंक व परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां शामिल हैं, जो 20 से ज्यादा निवेशकों का विस्तृत आधार पूरा करती हो। तीसरी श्रेणी में मोटे तौर पर ट्रस्ट, फैमिली ऑफिस व हेज फंड शामिल हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स में आईएफआईएन के निवेश की जांच

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 26 अगस्त

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के धनशोधन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि कंपनी की वित्तीय सेवा इकाई आईएफआईएन ने इंडिया सीमेंट्स के मालिकाना हक वाली चेन्नई सुपर किंग्स में साल 2018 में करीब 300 करोड़ का नया निवेश किया था जब आईपीएल क्रिकेट टीम पर भारी भरकम कर्ज था। एक अधिकारी ने कहा, जांच एजेंसी यह पता लगाने के लिए क्रिकेट फ्रैंचाइजी में हुए निवेश की वजह खोज रही है कि क्या इस लेनदेन के साथ अन्य कर्जदार की तरह कुछ निश्चित गड़बड़ी तो नहीं थी।

फेडरल एजेंसी ने निवेश की विशेष श्रेणी के तहत आईएफआईएल के कर्ज व निवेश पर नजर डाली है, जहां प्रवर्तक कंपनी निवेश करने वाली फर्म के पुट व कॉल ऑप्शन के जरिए निवेश कर सकती है या इससे बाहर निकल सकती है। प्रवर्तन निदेशालय इसकी व्यवस्था व वैधता का अध्ययन कर रही है।

■ **जांच एजेंसी यह पता लगाने के लिए क्रिकेट फ्रैंचाइजी में हुए निवेश की वजह खोज रही है कि क्या इस लेनदेन के साथ अन्य कर्जदार की तरह कुछ निश्चित गड़बड़ी तो नहीं थी**

जांच एजेंसी इस लेनदेन के तौर-तरीके को समझने के लिए क्रिकेट फ्रैंचाइजी सीएसके को बुला सकती है। इस मामले में आरोपी आईएलऐंडएफएस के वरिष्ठ प्रबंधन से भी पूछताछ हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय आईएलऐंडएफएस की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों की रेटिंग एजेंसियों की तरफ रेटिंग में की गई कटौती की पृष्ठभूमि में खातों के विशेष अंकेक्षण पर विचार कर रहा है। अधिकारी ने कहा, ऐसा पाया गया कि कुछ मामलों में तीसरे पक्षकार को दी गई रकम का इस्तेमाल उसने आईएलऐंडएफएस समूह की कंपनियों के वित्त पोषण में किया। हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या यह निवेश आईएलऐंडएफएस समूह में दोबारा वापस आया। संपर्क किए जाने पर सीएसके के प्रवक्ता ने इस मामले में किसी जनकारी से इनकार किया। आईएलऐंडएफएस के नए निदेशक मंडल की तरफ से नियुक्त ग्रांट थॉर्नटन ने मार्च में 29 मामले सामने रखे थे जहां उधार लेने वालों हुए दी गई रकम का इस्तेमाल उनकी समूह कंपनियों ने आईएफआईएन के मौजूदा कर्ज के पुनर्भुगतान में किया।

डीएचएफएल ने नियुक्त किया नया ऑडिटर

आवास ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी डीएचएफएल ने सोमवार को कहा कि उसने केके मनकेश्वर ऐंड कंपनी को अपना सांविधिक ऑडिटर नियुक्त किया है। डेलॉइट हस्किंस ऐंड सेल्स और चतुर्वेदी ऐंड शाह एलएलपी के इस महीने इस्तीफा देने के बाद कंपनी ने नया ऑडिटर रखा है। नए ऑडिटर की नियुक्ति 26 अगस्त से प्रभावी है। कंपनी के निदेशक मंडल की सोमवार को आयोजित बैठक में यह फैसला किया गया। *भाषा*

रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.

RELIGARE | HOME LOANS Values that bind

पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
केंद्रीय कार्यालय: प्रथम तल, प्रियस ग्लोबल टॉवर, ए–3, 4, 5, सेक्टर–125, नोएडा–201301

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV नियम 8(1)

जैसे कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहाँ आगे **"आरएचडीएफसीएल"** कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठि त धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(आरएचडीएफसीएल)**, नेशनल हाऊसिंग बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व) में पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी, के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित **("कर्जदार") और ("सह–कर्जदार")** को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर अधोल्लिखित राशि को चुकता करने के लिए मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित खाते के लिए अधोवर्णित राशि और इस पर ब्याज के लिए **"आरएचडीएफसीएल"** के प्रभार के अधीन होगा:

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में आकर्षित किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों आदि सहित 'आरएचडीएफसीएल'' को बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ **'आरएचडीएफसीएल"** द्वारा बिक्री या हस्तांतरित नहीं की जायेंगी और **'आरएचडीएफसीएल"** द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ की बिक्री या हस्तांतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जायेगा।

अचल संपत्ति का विवरण

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता का नाम और पता	मांग सूचना की तारीख और राशि	संपत्ति का विवरण
मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद शम्सी और शबनम जहां पत्नी मो. तारिक दोनों निवासी 104, भूतल, गली नं. 18, मयूर विहार निकट प्रताप नगर, दिल्ली–110091 **और यहाँ भी:** 36/5, भूतल, त्रिलोक पुरी, दिल्ली–110091	**मांग सूचना की तारीख:** 19.03.2019 **रु. 810895/–** (रुपये आठ लाख दस हजार आठ सौ पचानवे मात्र) और 19.03.2019 से ब्याज व अन्य प्रभार	प्लाट नं. 56, फ्लैट नं. एफएफ02, प्रथम तल, एलआईजी, खसरा नं. 367, खुशाल विहार, गांव सदुल्लाबाद परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद, उ.प्र. **कब्जे की तारीख: 22.08.2019**

दिनांक: 22.08.2019
स्थान : लोनी (गाजियाबाद)

प्राधिकृत अधिकारी
मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एफपीआई को मानकों में ढील से बड़े निवेश की उम्मीद

सेबी की इस पहल से 60 से अधिक देशों के केंद्रीय बैंक एफपीआई के तौर पर निवेश करने में सक्षम होंगे

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 26 अगस्त

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मानक नरम बनाने की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की पहल खासकर पश्चिम एशिया के संपन्न केंद्रीय बैंकों से भारत में बड़ा निवेश ला सकती है। इसके अलावा इस पहल से देश में नया निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

बुधवार को सेबी ने कहा कि बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट (बीआईएस) की सदस्यता नहीं रखने वाले केंद्रीय बैंक एफपीआई पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। इससे मॉरिशस, साइप्रस और अबू धाबी, दुबई, कुवैत, ओमान और कतर समेत 60 देशों के केंद्रीय बैंक एफपीआई के तौर पर भारत में निवेश करने में सक्षम होंगे।

इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'खासकर पश्चिम एशिया के केंद्रीय बैंकों के पास बड़ा भंडार है, जिसे वह भारत में निवेश करना पसंद करेंगे। इन देशों की संपन्नता तेल कीमतों से जुड़ी हुई है और जब तेल कीमतें गिरेंगी, भारत प्राकृतिक रूप से सुरक्षा के तौर पर काम करेगा, क्योंकि उसे तेल कीमतों में नरमी का लाभ मिलेगा।' विश्लेषकों का मानना है कि यह बड़ा निवेश निर्धारित आय क्षेत्र, खासकर सरकारी प्रतिभूतियों में हो सकता है। भारत के सरकारी बॉन्ड आकर्षक प्रतिफल देते हैं और इनमें बड़ा निवेश देखा जा सकता है, जिससे ऐसे बॉन्डों के लिए मांग बढ़ेगी।

जेएम फाइनैंशियल में प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (इंस्टीट्यूशनल फिक्स्ड इनकम) अजय मंगलूनिया ने कहा, 'केंद्रीय बैंक सॉवरिन प्रतिभूतियों में पैसा लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनमें निवेश करना और बगैर जोखिम के इनसे निकलना आसान है। वैश्विक रूप से ब्याज दरें नकारात्मक दायरे में हैं, लेकिन भारत इस संदर्भ में आकर्षक बना हुआ है और यहां वास्तविक ब्याज दरें 3.5-4 प्रतिशत के दायरे में हैं। ये बैंक राजकोषीय, वृहद और मौद्रिक मोर्चों पर मजबूती को देखते हुए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अनुकूल स्थिति में होंगे।' भारत के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल गुरुवार को 6.56 प्रतिशत पर था।

कई देश अपने सॉवरिन वेल्थ फंडों के जरिये खासकर भारतीय इक्विटी में पहले ही बड़ा निवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अक्सर भारतीय शेयरों में निवेश करने वाले प्रमुख एसडब्ल्यूएफ में शामिल रहता है।

सेबी द्वारा फंडों के लिए 'ब्रॉड-बेस्ड' की शर्त हटाए जाने से देश में कई नए ऑफशोर फंडों द्वारा निवेश किए जाने की संभावना है।

विल्सन फाइनैंशियल सर्विसेज में निदेशक नेहा मालवीय ने कहा, 'कैटेगरी-2 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ब्रॉड-बेस्ड शर्त को हटाए जाने की मांग उद्योग द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। पहले किसी फंड को कम से कम 20 निवेशकों की उपस्थिति की जरूरत की वजह से कैटैगरी-2 लाइसेंस लेना बेहद कठिन था। इस शर्त के हटने से हम भारतीय पूंजी बाजार में नया विदेशी निवेश देख सकते हैं और एफपीआई की संख्या में तेजी आ सकती है।'

बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, पिछले 2-3 महीनों में एफपीआई के तौर पर 600-700 फंड पंजीकृत हुए हैं, लेकिन नियामकीय अनिश्चितता की वजह से उनके द्वारा निवेश किया जाना अभी बाकी है। ये फंड आम बजट में ट्रस्टों के तौर पर पंजीकृत एफपीआई के लिए कर वृद्धि के बाद से दबाव महसूस कर रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि यदि कर अधिभार की समस्या को सुलझा लिया जाता है तो सेबी की ताजा घोषणा से इन निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी और एफपीआई प्रवाह बढ़ेगा।

एफपीआई के निवेश पर एक नजर

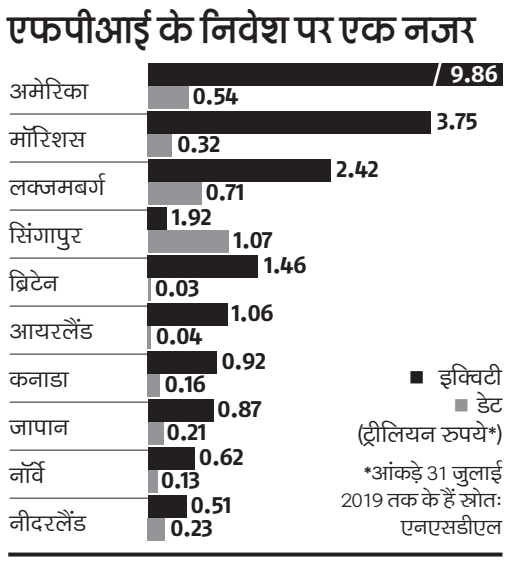

इक्विटी एनएफओ में बढ़ रहा निवेश

विशेषज्ञों ने कहा, बाजार में तेजी से निवेशकों की धारणा में सुधार होगा जिससे बढ़ेगा निवेश प्रवाह

जश कृपलानी
मुंबई, 26 अगस्त

निवेशकों का न्यू फंड ऑफरिंग यानी एनएफओ में निवेश के प्रति रुझान अब बढ़ने लगा है। अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच बाजार में उतारे गए 11 इक्विटी एनएफओ के जरिये 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आकर्षित हुए। हालांकि अग्रिम कमीशन के प्रावधान को हटाये जाने के बाद इसमें भारी गिरावट की आशंका जताई गई थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार में तेजी से इक्विटी एनएफओ में निवेश को बल मिल सकता है।

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल 2019 और जुलाई 2019 के बीच औसत एनएफओ संग्रह 377 करोड़ रुपये रहा जो पिछले चार महीनों के दौरान हुए औसत संग्रह के मुकाबले दोगुना से भी अधिक है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले औसत संग्रह में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, चतुर निवेशक हाल में जारी किए गए एनएफओ में निवेश कर रहे हैं। मिरे एएमसी के मुख्य कार्याधिकारी स्वरूप मोहंती ने कहा, 'हमें एनएफओ में दमदार निवेश को देखना अभी बाकी है लेकिन सूझबूझ वाले निवेशकइसमें निवेश कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बाजार में गिरावट का दौर खरीदारी के लिए अच्छी संभावनाओं को लेकर आता है।'

जुलाई में पांच एनएफओ के जरिये 1,927 करोड़ रुपये जुटाए गए। इनमें मिरे ऐसेट मिडकैप फंड, कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड, बिड़ला सन लाइफ फार्मा ऐंड हेल्थकेयर फंड और क्वांटम इंडिया ईएसजी इक्विटी फंड शामिल हैं। हालांकि यह पिछले साल जुलाई से अक्टूबर के बीच इसके जरिये जुटाई गई रकम के मुकाबले काफी कम है। उस दौरान औसत संग्रह 569 करोड़ रुपये रहा था।

मोहंती ने कहा, 'शेयर बाजार में दमदार बढ़त होने से एनएफओ में निवेश की रफ्तार बढ़ सकती है क्योंकि इससे निवेशक धारणा में सुधार होगा।' सोमवार को बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स दो फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले सप्ताह सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों पर कर अधिभार हटाने और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई उपायों की घोषणा की थी जिससे बाजार को बल मिला। सलाहकारों का कहना है कि कुछ निवेशक नए फंडों में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में गिरावट के समय तैयार किए गए ताजा पोर्टफोलियो में गिरावट की कम गुंजाइश होगी। वित्तीय सलाहकार फर्म प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, एनएफओ के बाद फंड मैनेजर को आमतौर पर प्रक्रिया पूरी करने में एक से तीन महीने का समय लगता है।

एनएफओ में निवेश

अवधि	औसत इक्विटी एनएफओ संग्रह*
दिसंबर 2018 से मार्च	155
अप्रैल से जुलाई 2018	329
अप्रैल से जुलाई 2019	377

स्रोत: एम्फी *(करोड़ रुपये में)

शेयर बाजार में बड़ी उछाल

पृष्ठ-1 का शेष

एलेस्वरापू ने कहा, 'जून तिमाही में कंपनियों की आय नरम रही और कमजोर मांग से इसमें सुधार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके साथ ही अमेरिका-चीन के व्यापार तनाव को लेकर भी माहौल अनुकूल नहीं है।' घरेलू बाजार में वित्तीय और रियल्टी सूचकांक में करीब 4-4 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वाहन सूचकांक में मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स के 22 शेयर बढ़त पर बंद हुए और येस बैंक में सबसे ज्यादा 6.3 फीसदी की तेजी आई। एचडीएफसी 5.24 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ।

बजाज फाइनैंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में मुख्य कार्याधिकारी, संस्थागत इक्विटीज रजत राजगढ़िया ने कहा, 'पिछले दो महीने से दो मुद्दे बाजार को प्रभावित कर थे। पहला अधिभार था और दूसरा अर्थव्यवस्था में नरमी। एपीआई को अधिभार से राहत मिल गई, वहीं नरमी दूर करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।' हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों से बाजार को निकट अवधि में ही मदद मिलेगी।

APPOINTMENTS

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय भरोसेमंद Faithful Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलुरु

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने से संबंधित नोटिस

मुख्य डिजिटल अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी एवं क्षेत्र विशेषज्ञ अधिकारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 9 अगस्त 2019 को जारी किए गए विज्ञापन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 5 सितंबर 2019** तक बढ़ा दिया गया है। अन्य सभी शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक की वेवसाइट **http://www.syndicatebank.in** के कैरियर सेक्सन के अंतर्गत अन्य जानकारी दी गई है।

ह/–
महा प्रबंधक
(मानव संसाधन)

दिनांक: 23.08.2019

IDBI BANK CIN:L65190MH2004GO148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
वीडियोकॉन टावर, प्रथम तल, ई–1,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110055, फोन : 011-66083103/62

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, वीडियोकॉन टावर, प्रथम तल, ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 18–10–2012 जारी की थी, जिसमें कर्जदार मैसर्स विक्टोरिया मैन्युफैक्चरिंग ऐंड पैकिंग प्रा. लि. (वीएमपीपीएल) तथा निदेशक/गारंटर/बंधकदाता रेणु कालरा पत्नी सुनील कालरा, श्री राघव कालरा, श्री रिधि कालरा पुत्री सुनील कालरा एवं शीला देवी पत्नी श्री सुदर्शन कालरा से सूचना में वर्णितानुसार दिनांक 30–09–2012 तक बकाया रू. 17,44,94,558.57 (रू. सत्रह करोड़ चवालीस लाख चौरानवे हजार पांच सौ अठ्ठावन तथा पैसे सत्तावन मात्र) का भुगतान 01–10–2012 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज एवं अनुषंगी प्रभार सहित करने की मांग की गई थी।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार/बंधकदाता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 अगस्त, 2019 को नीचे वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इन संपत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, वीडियोकॉन टावर, प्रथम तल, ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 की दिनांक 30–09–2012 तक बकाया रू. 17,44,94,558.57 (रू. सत्रह करोड़ चवालीस लाख चौरानवे हजार पांच सौ अठ्ठावन तथा पैसे सत्तावन मात्र) + 01–10–2012 की प्रभावी तिथि से ब्याज एवं अनुषंगी प्रभार चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

शॉप नंबर 4, परिमाप (10' X 11') 110 वर्ग फीट तथा शॉप नंबर 7, परिमाप (10' X 10') 100 वर्ग फीट दोनों भू तल पर स्थित, जो सम्पत्ति सं. 16–यूबी, जवाहर नगर, दिल्ली–110007 का अंश एवं खंड है। (श्रीमती रिधि कालरा पुत्री श्री सुनील कालरा और श्रीमती रेनू कालरा के नाम की संपत्ति)

निम्नानुसार परिबद्ध : पूरब : मेन रोड पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : अन्य सम्पत्ति जिसका नंबर 15–यूबी है दक्षिण : गली/संकरी रोड

स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 23–08–2019 प्राधिकृत अधिकारी, (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड)

फॉर्म संख्सा एनसीएलटी 3ए
विज्ञापन विस्तार याचिका
राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 118/पीबी/2019
के साथ सम्बंधित
कंपनी का आवेदन (सीएए) संख्या 56/पीबी/2019
के मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013
के मामले में
एवं
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अन्तर्गत याचिका के मामले में
एवं
समामेलन की योजना
के मामले में
एवं

विस्त्रा आई–टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित एक कंपनी है जिसका **पंजीकृत कार्यालय 33–35 त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली में – 110 003, भारत स्थित, उपर्युक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है।**

...याचिकाकर्ता ट्रांसफरर कम्पनी –1

के मामले में
एवं

एवॉन मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित एक कंपनी है जिसका **पंजीकृत कार्यालय 33–35 त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली में – 110 003, भारत स्थित, उपर्युक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है।**

...याचिकाकर्ता ट्रांसफरर कम्पनी –2

के मामले में
एवं

न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्सपोर्टस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित एक कंपनी है जिसका **पंजीकृत कार्यालय 33–35 त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली में – 110 003, भारत स्थित, उपर्युक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है।**

...याचिकाकर्ता अंतरिती कम्पनी

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक प्रस्तावित समामेलन की एक याचिका, संशोधन सहित अथवा इसके बिना, अनुमोदन हेतु संयुक्त तौर पर (i) विस्त्रा आई–टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (''**याचिकाकर्ता ट्रांस्फेरर कम्पनी 1**''); (ii) एवॉन मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (''**याचिकाकर्ता ट्रांस्फेरर कम्पनी 2**''); एवं (iii) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (''**याचिकाकर्ता अंतरिती कम्पनी 3**'') द्वारा 24 जुलाई 2019 को दाखिल की गयी थी, एवं कथित याचिका राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रधान बेंच के समक्ष 3 अक्तूबर 2019 को सुनवाई हेतु तय की गई है।

यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन का समर्थन या विरोध करने की इच्छा रखता हो, तो उन्हें उनके इरादे की सूचना, उनके द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उनके पूर्ण नाम और पते के साथ, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को इस प्रकार भेजना चाहिए कि याचना की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) दिन पहले तक पहुँचे। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है तो विपक्ष के आधार या याचिका के विरोध में किए जाने वाले शपथपत्र की एक प्रति, ऐसी सूचना के साथ भेजना चाहिए।

याचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पर, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई की जाएगी।

हस्ता/–
संजीव जैन
डी–1862–2005
(प्रा लॉ ऑफिस)
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता
डब्ल्यू–126 ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली–110048, फोन # 011–4067 6767

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त 2019